न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— डॉ0 एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या— 125/17

बउनवान

हेमराज पुत्र पन्नालाल जाति—किराड आयु 50 साल निवासी—कोटडा तहसील—बारां, जिला—बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री नन्दकिशोर गुर्जर, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक— 30.07.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 14.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—कोटडा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 121/387 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 200/—रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई जवाबदेहीं का कोई अवसर नहीं देकर मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकारी तावान बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.3.2014 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गयी।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं हुई है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

है। कब्जा छोड रखा है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके पूर्ण धारणा बनाकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई रेकार्ड व साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। वर्तमान में विवादित आराजी खाली पडी हुयी है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील करवाकर, विधिवत सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अतिचार करने पर मि0नं0 958/13 निर्णय दिनांक 20.12.2013 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व बिना सुनवाई किये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है ना ही उक्त आराजी पर कब्जा है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 958/13 निर्णय दिनांक 20.12.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 581/14 में पारित आदेश दिनांक 14.3.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज0)

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज0)